

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(5)राज/वाद/18

जयपुर, दिनांक 05-06-18

:: आदेश ::

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना 5 (51) कार्मिक/क-2/88, दिनांक 31.12.96 के तहत श्रीमती दीपिका कश्यप पत्नि स्व0 श्री ईश्वर लाल कश्यप, जन्म तिथि 10.07.1990 व शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण, जाति-भोई, निवासी-ईदगाह चौक, कश्यप कॉलोनी, थाना- कोतवाली झालावाड़, जिला झालावाड़ (राज0)को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्यालय विशिष्ट लोक अभियोजक(एन.डी.पी.एस) झालावाड़ में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

उक्त नियुक्ति वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफ.डी./रुल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रुल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ. 1(2)एफडी/रुल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13(1)एफडी/रुल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी तथा उक्त पद पर की गई नियुक्ति उक्त शर्तों के साथ-साथ निम्न शर्तों के अध्याधीन भी होगी:-

1. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रुल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसूची-4 के नियम 16 के संबंधित लेवल L-5 के अनुसार परिवीक्षाकाल अवधि में नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) रु. 14600/- प्रतिमाह की दर से देय होंगे।
2. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हे कनिष्ठ सहायक के नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 द्वारा, राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची-प्रथम, पार्ट-बी के नियम नियम-5(vi) और (vii) के पे-मेट्रिक्स के अनुसार लेवल L-5 के सेल नं0-1 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (फिक्स पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. राज्य सरकार के परिपत्र पं.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इनके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम, 17 की अनुसूची-4 के नियम 16, नोट क्रमांक-4 के अनुसार प्रति वर्ष 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे।
6. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नहीं होंगे।
7. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 द्वारा नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
8. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.07.10, परिपत्र दिनांक 21.09.2010 एवं परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 02.01.17 के अनुसार मृतक आश्रित कर्मचारी को कम्प्यूटर योग्यता 02 वर्ष में अर्जित करना अनिवार्य है और यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं की जाती है, तो जितनी विलम्ब अवधि से कम्प्यूटर योग्यता अर्जित की जायेगी, परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि के लिए आगे बढ़ जायेगा।
9. आदेश जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।


(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, झालावाड़ को उनके पत्र क्रमांक प.10/स्था/18/384 दिनांक 30.01.18 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती दीपिका कश्यप पत्नि स्व० श्री ईश्वर लाल कश्यप को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाकर संबंधित विशिष्ट लोक अभियोजक(एन.डी.पी.एस.)झालावाड़ के कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर इस विभाग को अवगत करावें।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. विशिष्ट लोक अभियोजक(एन.डी.पी.एस) झालावाड़।
4. कोषाधिकारी, झालावाड़।
5. श्रीमती दीपिका कश्यप पत्नि स्व० श्री ईश्वर लाल कश्यप, जाति-भोई, निवासी-ईदगाह चौक, कश्यप कॉलोनी, थाना- कोतवाली झालावाड़, जिला झालावाड़ (राज०)।
6. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
7. प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(संजय कुमार)
शासन सचिव, विधि